निबंधन सं0 पी0 टी0—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़ 1922 (श0)

(सं0 पटना, 241) पटना, सोमवार, 10 जुलाई, 2000

योजना एवं विकास विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय

अधिसूचना

3 मार्च, 2000

बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999

सं0 492—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (18, 1969) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से बिहार की राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है यथा:—

1. संक्षिप्त नाम—(1) यह नियमावली बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 1 जनवरी, 2000 से प्रवृत्त होगी।

(4) यह नियमावली बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1970 और उसमें समय-समय पर बाद में किये गये संशोधन को प्रतिस्थापित करेगी।

2. परिभाषाएं—इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969,

(ख) "फारम" से अभिप्रेत है, इस नियमावली से संलग्न फारम, और

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

3. गर्भावधि—धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के प्रयोजनार्थ गर्भावधि 28 (अट्ठाइस) सप्ताह की होगी।

4. धारा 4(4) के अधीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना—धारा 4 की उप-धारा (4) के अधीन हरेक वर्ष के लिए प्रतिवेदन इस नियमावली के साथ संलग्न विहित फारम में तैयार किया जाएगा और वह धारा 19 के उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकी प्रतिवेदन के साथ उस वर्ष, जिससे यह प्रतिवेदन संबंधित हो, के पश्चात्वर्ती वर्ष की 31 जुलाई तक, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

5. जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए फारम आदिः-

(1) रजिस्ट्रार को जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए यथास्थिति, धारा-8 या धारा-9 के अधीन दी जानेवाली अपेक्षित सूचना क्रमशः फारम-1,2 और3, जिन्हें इससे आगे सामूहिक रुप में प्रतिवेदन-फारम कहा जायेगा, में दी जायेगी। यदि सूचना मौखिक रुप में दी जाती हो, तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त प्रतिवेदन फारमों में उसकी प्रविष्टि की जायेगी और सूचना देने वाले का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन फारम की विधिक् सूचना वाला भाग विधिक् भाग कहलायेगा और सांख्यिकीय सूचना वाला भाग "सांख्यिकी भाग" कहलायेगा।

(3) उपनियम-(1) में विनिर्दिष्ट सूचना जन्म, मृत्यु की तारीख से 21(इक्कीस) दिन के भीतर दी जायेगी।

6. यान में जन्म-मृत्युः

(1) यदि किसी गतिमान यान में कोई जन्म या मृत्यु होती हो तो यान का प्रभारी व्यक्ति धारा-8 की उपधारा-1 के अधीन प्रथम विराम-स्थान पर उसकी सूचना देगा या दिलवायेगा।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजनार्थ "यान" शब्द से अभिप्रेत है भूमि, वायु या जल पर प्रयुक्त होनेवाली किसी भी प्रकार की सवारी और इसके अन्तर्गत कोई वायुयान, नाव, पोत, रेलवाहन, मोटरकार, मोटर साईकिल, गाड़ी, ताँगा और रिक्शा भी सम्मिलित है।

(2) ऐसी मृत्यु की दशा में जो धारा-8 की उपधारा-1 के खण्ड-(क) से (ड़) के अन्तर्गत नहीं आती हो और जिसमें मृत्यु की जाँच-पड़ताल की गई हो तो जिस पदाधिकारी ने जाँच-पड़ताल की हो वह धारा-8 की उपधारा-1 के अधीन इसकी सूचना देगा या दिलवायेगा।

7. धारा-10(3)के अधीन प्रमाण-पत्र का फारमः-

मृत्यु के कारण के संबंध में धारा-10 की उपधारा-(3) के अधीन अपेक्षित प्रमाण-पत्र फारम-4 या 4(क)में जारी किया जायेगा और रजिस्ट्रार मृत्यु के रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् उस माह के जिसे सभी प्रमाण-पत्र, जिससे प्रमाण-पत्र सम्बन्धित हो, के ठीक अगले माह की 10 तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अग्रेषित करेगा।

8. धारा-12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना

(1) सूचना देनेवाले व्यक्ति को जन्म और मृत्यु से सम्बन्धित रजिस्टर से धारा-12 के अधीन दिये जानेवाले प्रविष्टियों के उद्धरण, यथास्थिति, फारम संख्या-5 या फारम संख्या-6 में होंगे।

(2) धारा-8 की उपधारा-(1) के खण्ड-"क" में निर्दिष्ट घर में होनेवाले जन्म और मृत्यु की घटनाएँ जिनकी जानकारी रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को सीधे भेजी जाती है, की दशा में यथास्थिति घर अथवा परिवार का मुखिया जैसा भी मामला हो अथवा उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित घर के मुखिया का कोई निकटतम रिश्तेदार जन्म या मृत्यु से सम्बन्धित उद्धरण, उसकी सूचना दिये जाने के 30(तीस) दिन के भीतर रजिस्ट्रार से प्राप्त कर सकेगा।

(3) धारा-8 की उपधारा-1 के खण्ड-"क" में निर्दिष्ट घर में होनेवाली जन्म और मृत्यु, जिनकी जानकारी उक्त धारा की उपधारा-2 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की जाती हो, की दशा में इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) से प्राप्त उद्धरण, यथास्थिति, सम्बद्ध घर अथवा परिवार के मुखिया को अथवा उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित मुखिया के किसी निकटतम रिश्तेदार को रजिस्ट्रार द्वारा उद्धरण जारी करने के 30(तीस) दिन के भीतर देगा।

(4) धारा-8 की उपधारा-1 के खण्ड-(ख) से (ड़) में विनिर्दिष्ट संस्थागत जन्म-मृत्यु की दशा में नवजात शिशु अथवा मृतक का नजदीकी रिश्तेदार सम्बन्धित संस्थान के अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति से जन्म अथवा मृत्यु की घटना घटने के 30(तीस) दिन के भीतर उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

(5) यदि उप नियम (2) से (4) में यथा निर्देशित संबंधित व्यक्ति द्वारा नियत अवधि तक जन्म अथवा मृत्यु के उद्धरण प्राप्त नहीं किये जायें तो रजिस्ट्रार अथवा उप नियम-4 में यथा उल्लिखित सम्बन्धित संस्थान के अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के 15(पन्द्रह) दिन के भीतर संबंधित परिवार को डाक से उद्धरण भेज देगा।

9. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण का प्राधिकारी और उसके लिए देय फीसः

(1) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु की सूचना, नियम-5 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात किन्तु जन्म या मृत्यु की तारीख से 30(तीस) दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण 2/= रुपये(दो रुपये) विलम्बित फीस के भुगतान करने पर किया जायेगा।

(2) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को, उसके होने के 30(तीस) दिनों के पश्चात् परन्तु एक वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण इस

निमित्त विहित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और 5/= रुपये(पाँच रुपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर किया जायेगा।

(3) यदि किसी जन्म या मृत्यु का, उसके होने के एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रीकरण नहीं होता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के आदेश पर और 10/=रुपये(दस रुपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर किया जायेगा।

10. धारा-14 के प्रयोजनार्थ अवधिः

(1) जहाँ किसी शिशु के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम के किया गया हो वहाँ ऐसे शिशु के माता-पिता या संरक्षक रजिस्ट्रार को शिशु के नाम के संबंध में मौखिक या लिखित सूचना शिशु के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह के भीतर देगाः

परन्तु यदि ऐसी कोई सूचना 12 माह की अवधि के पश्चात् किन्तु 15 वर्ष के भीतर दी जाती हो तो उसकी गणना निम्नरुप में की जायेगीः-

(i) जहाँ रजिस्ट्रीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 1991 के लागू होने की तारीख से पूर्व किया गया हो, वहाँ नियम के प्रारम्भ की तारीख से या

(ii) जहाँ रजिस्ट्रीकरण जम्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 1991 के लागू होने की तारीख के बाद किया गया हो, वहाँ रजिस्ट्रीकरण की तारीख से,

धारा-23 की उपधारा-(4) के उपबन्धों के अध्यधीन रजिस्ट्रार--

(क) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में हो तो 5/=रुपये(पाँच रुपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर संबंधित जन्म-रजिस्टर के सम्बद्ध फारम के सुसंगत स्तम्भ में नाम दर्ज करेगा।

(ख) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में नही हो और यदि सूचना मौखिक रुप में दी गई हो तो आवश्यक विशिष्टियाँ देते हुए एक रिर्पोट देगा और यदि सूचना लिखित रुप में दी गई हो तो उसे 5/=रुपये(पाँच रुपये) विलम्ब फीस क भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिये राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अग्रेषित कर देगा।

(2) यथास्थिति, माता-पिता या अभिभावक, धारा-12 के अधीन उसे दिये गये उद्धरण की प्रति या धारा-17 के अधीन उसे दिया गया प्रमाणित उद्धरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रार शिशु के नाम से सम्बन्धित आवश्यक पृष्ठांकन करेगा या उप-नियम-(1) के परन्तुक के खण्ड-(ख) में अधिकथित रुप से कार्रवाई करेगा।

11. जन्म-मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि को शुद्ध या रद्द करना:-

(1) यदि रजिस्ट्रार को यह प्रतिवेदन दिया जाता है कि रजिस्टर में कोई लिपिकीय या प्रारुपिक गलती हो गयी हो या यदि ऐसी किसी गलती का उसे अन्यथा पता लगता हो और यदि रजिस्टर उसके कब्जे में हो तो रजिस्ट्रार इस विषय में जाँच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसी कोई गलती हो गयी है तो वह धारा-15 में किये गये उपबन्ध के अनुसार (उस प्रविष्टि को शुद्ध या रद्द करके) गलती को ठीक करेगा और गलती को तथा उसे कैसे ठीक किया गया है यह दर्शाते हुए ऐसी प्रविष्टि का एक उद्धरण राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को भेज देगा।

(2) उप-नियम-1 में निर्देशित मामले में, यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नही हो तो, रजिस्ट्रार राज्य सरकार को या इसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को रिपोर्ट करके सुसंगत रजिस्टर मंगायेगा तथा इस विषय में जाँच करने के पश्चात् यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई गलती हुई है तो वह आवश्यक सुधार कर देगा।

(3) रजिस्ट्रार से रजिस्टर प्राप्त होने पर, उप-नियम-(2) में उल्लिखित ऐसी कोई सुधार राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि सारतः त्रुटिपूर्ण है तो रजिस्ट्रार त्रुटि की प्रकृति बताने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा प्रस्तुत किये जाने और तथ्यों का या मामले की जानकारी रखनेवाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा मामले के सही तथ्यों के दिये जाने पर धारा-15 के अधीन विहित रीति से प्रविष्टि का सुधार कर सकेगा।

(5) उप-नियम-(1) और उप-नियम-(4) में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार, उसमें निर्दिष्ट प्रकार के किये गये किसी सुधार की आवश्यक विवरण सहित एक प्रतिवेदन राज्य सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को देगा।

(6) यदि रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रुप में यह साबित हो जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर में कोई प्रविष्टि कपटपूर्वक या अनुचित रुप से की गई है, तो वह मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा धारा-25 के अधीन इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवश्यक विवरण देते हुए एक प्रतिवेदन देगा और उसकी सुनवाई के समय इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(7) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस नियम के अधीन किसी प्रविष्टि का सुधार या उसे रद्द किया गया हो, तो उसकी सूचना उस व्यक्ति के, जिसने धारा-8 या धारा-9 के अधीन सूचना दी है, स्थायी पते पर भेज दी जायेगी।

12. धारा-16 के अधीन रजिस्टर का प्ररुपः

प्ररुप संख्या-1,2और 3 के विधिक भाग से जन्म-रजिस्टर,मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर क्रमशः प्ररुप संख्या-7,8और 9 का निर्माण होगा।

13. धारा-17 के अधीन भुगतेय फीस और डाक खर्चः-

(1) धारा-17 के अधीन की जानेवाली खोज, जारी किये जाने वाले उद्धरण अथवा अनुपलब्धता-प्रमाण-पत्र के लिये भुगतेय फीस निम्नलिखित होगीः-

	रुपये - पैसे
(क) प्रथम वर्ष में किसी एक प्रविष्टि की खोज के लिए जिसके लिए खोज की गई हो - - -	2 = 00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए, जिसके लिए खोज जारी हो - - - - - -	2 = 00
(ग) प्रत्येक जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण देने के लिये-	5 = 00
(घ) जन्म अथवा मृत्यु का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र देने के लिये - - - - - -	2 = 00

(2) किसी जन्म या मृत्यु के संबंध में ऐसा कोई उद्धरण रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा, यथास्थिति फारम संख्या-5 या फारम संख्या-6 में निर्गत किया जायेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872(1872 का 1)की धारा-76 में उपबन्धित रीति से प्रमाणित किया जायेगा।

(3) यदि जन्म अथवा मृत्यु की कोई विशिष्ट घटना रजिस्ट्रीकृत नही पायी जाये, तो रजिस्ट्रार फारम संख्या-10 में अनुपलब्धता-प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) ऐसा कोई उद्धरण अथवा अनुपलब्धता-प्रमाण-पत्र उसकी माँग करनेवाले व्यक्ति को दिया जा सकेगा या इस निमित्त डाक-खर्च के भुगतान किये जाने पर डाक द्वारा भेजा जा सकेगा।

14. धारा-19(1) के अधीन अन्तराल और सामयिक विवरणियों का फारमः-

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक माह से संबंधित प्रतिवेदित करने वाले फारमों के सभी सांख्यिकीय भागों को संक्षिप्त मासिक सारांश प्रतिवेदन के साथ फारम संख्या-11 में जन्म के लिए, फारम संख्या-12 में मृत्यु

के लिए और फारम संख्या-13 में मृत-जन्म के लिए मुख्य रजिस्ट्रार या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को आगामी माह की 5 (पाँच) तारीख को या उसके पूर्व भेजेगा ।

(2) इस प्रकार विनिर्दिष्ट पदाधिकारी, प्राप्त हुए ऐसे सभी प्रतिवेदन फारमों के सांख्यिकीय भागों को उस माह की 10 (दस) तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को अग्रेषित कर देगा ।

15. धारा-19 (2) के अधीन सांख्यिकीय प्रतिवेदन :-

धारा-19 की उप-धारा-(2) के अधीन सांख्यिकीय प्रतिवेदन इस नियमावली के साथ संलग्न विहित फारम की सारणियों में होगी और उसका संकलन संबंधित वर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व कर लिया जायेगा तथा उसका प्रकाशन उसके पश्चात्, यथाशीघ्र, किन्तु किसी भी दशा में उक्त तारीख से पाँच माह के बाद नही किया जायेगा ।

16. प्रशमन करने वाले अपराधों के लिए शर्तें:-

(1) धारा-23 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपराधिक कार्यवाहियों के शुरु किए जाने से पूर्व या पश्चात् कर सकेगा यदि इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अपराध (अनवधानतावश) अन्वेक्षावश या प्रथमबार किया गया है ।

(2) ऐसे किसी अपराध का प्रशमन, धारा-23 की उप-धारा (1), (2) और (3) के अधीन अपराधों के लिए अधिक से अधिक 50/=रुपये (पचास रुपये) और उप-धारा (4) के अधीन अपराधों के लिए अधिक से अधिक 10/=रुपये (दस रुपये) तक की ऐसी राशि के भुगतान पर, जो उक्त पदाधिकारी उचित समझे, किया जा सकेगा ।

17. धारा-30 (2) (ट) के अधीन रजिस्टर और अन्य अभिलेख:-

(1) जन्म-रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर, स्थायी महत्व के अभिलेख होंगे और वे नष्ट नहीं किये जायेंगे ।

(2) अधिनियम की धारा-13 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त विलम्बित रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देने से संबंधित न्यायालय के आदेश तथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश जन्म-रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर के अभिन्न अंग होंगे तथा वे नष्ट नहीं किये जायेंगे।

(3) धारा-10 की उप-धारा (3) के अधीन मृत्यु के कारण के संबंध में दिया गया प्रमाण-पत्र मुख्य रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा कम-से-कम पाँच वर्ष तक रखा जायेगा।

(4) प्रत्येक जन्म-रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर, रजिस्ट्रार द्वारा, जिस कैलेन्डर वर्ष से वह संबंधित हो उसकी समाप्ति के पश्चात् बारह माह की कालावधि तक अपने कार्यालय में रखा जायेगा, तत्पश्चात् ऐसा रजिस्टर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अंतरित कर दिया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

अनिल कुमार
सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना ।

(नियम 4 देखिए)

अधिनियम के कार्यकरण पर रिपोर्ट

1. राज्य, उसकी सीमाओं और उसके राजस्व जिलों का संक्षिप्त वर्णन ।
2. प्रशासनिक क्षेत्रों में परिवर्तन ।
3. क्षेत्रों में भिन्नता के बारे में स्पष्टीकरण ।
4. रजिस्ट्रीकरण-क्षेत्र में परिवर्तन - विस्तार ।
5. विभिन्न स्तरों पर रजिस्ट्रीकरण तंत्र का प्रशासनिक स्थापन ।
6. इस अधिनियम के प्रति जनता की साधारण प्रतिक्रिया ।
7. जन्म और मृत्यु की अधिसूचना ।
8. मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन में प्रगति ।
9. अभिलेखों का अनुरक्षण ।
10. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जन्म और मृत्यु के रजिस्टर ढूंढना ।
11. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण ।
12. अपराधों का अभियोजन और प्रशमन ।
13. अधिनियम के क्रियान्वयन में पेश आने वाली कठिनाईयां :-

    (1) प्रशासनिक

    (2) अन्य
14. अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेश और अनुदेश ।
15. सामान्य टिप्पणियां ।